बिहार लोक सेवा आयोग (Bihar Public Service Commission)

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

साक्षात्कार पत्र (Interview Letter)

श्री/सुश्री/श्रीमती –

अनुक्रमांक –

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 67वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के फलस्वरूप आप साक्षात्कार (Interview) के लिए आमंत्रित किये जाते हैं।

कृपया **WEDNESDAY, 18.10.2023** को **09.30 A.M.** में 15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना स्थित बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय में साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से 1 घंटा पहले – **08.30 A.M.** उम्र, आरक्षण कोटि एवं शैक्षिक योग्यता आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

02. साक्षात्कार पत्र के साथ संलग्न आवेदन पत्र का सार – I एवं प्रपत्र – II को पूर्णतः भरकर अपने दावे से संबंधित **सभी मूल प्रमाण–पत्र सहित साक्षात्कार के समय उपस्थित रहेंगे।**

03. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी स्वयं के द्वारा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किये गये प्रमाण–पत्र/कागजात को अपने Dashboard पर Login करने के पश्चात् डाउनलोड किये गये प्रति जिसपर आयोग का Watermark अंकित है, उसकी **एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तथा मूल प्रमाण–पत्र/कागजात** अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित रहेंगेः–

(i) जन्म तिथि के साक्ष्य (Proof of Date of Birth) हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र। यदि मूल प्रमाण–पत्र में जन्मतिथि अंकित न हो तो अंक पत्र।

(ii) स्नातक/समकक्ष डिग्री का प्रमाण पत्र (विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत)। यदि उक्त प्रमाण–पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 19.11.2021 के बाद का निर्गत है तो वैसी परिस्थिति में अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत डिग्री अंक पत्र।

(iii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र **(महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।**

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र **(महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)**।

(v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या– 2622, दिनांक – 26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची - I (प्रपत्र - I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र।

(vi) दिव्यांगता के आरक्षण का दावा करनेवाले उम्मीदवारों के लिए दिव्यांगता सम्बन्धी वैध प्रमाण पत्र की मूल प्रति (दो प्रति अतिरिक्त)।
नोटः– अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

(vii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र (सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 11687 दिनांक 30.08.2016) में निर्गत प्रमाण पत्र। **मात्र परिचय पत्र मान्य नहीं होगा।**

(viii) अधिकतम उम्र सीमा में छूट सम्बन्धी दावा करने वाले बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, के लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(ix) अधिकतम उम्र सीमा में छूट सम्बन्धी दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिक/एन॰सी॰सी॰ के पूर्णकालिक कैडेट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(x) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य उपक्रम में नियोजित उम्मीदवार के लिए विभाग/संस्थान के प्रधान/प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xi) ऑनलाइन आवेदन में दिया गया पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

(xii) दो पासपोर्ट साईज के अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ (**Recent Coloured Photograph**)।

योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने प्रारम्भिक परीक्षा हेतु भरे गये आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित मूल/औपबंधिक प्रमाण पत्र के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की तिथि, ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (19.11.2021) के पूर्व का ही होना आवश्यक है। यदि आप साक्षात्कार के दिन उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने/उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

04. आयोग के वेबसाईट – www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध **आवेदन पत्र का सार प्रपत्र–I एवं विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए अधिमानता प्रपत्र–II** को पूर्णतः भरकर साक्षात्कार के समय साथ लेते आयें। **प्रपत्र–II में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए भरे जाने वाले अधिमानता कोड एवं सेवा/पद का नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से करें तथा रिक्त कॉलम को स्पष्टतः क्रॉस (×) कर दें। जिस पद के लिए आपके द्वारा अधिमानता अंकित नहीं की जायेगी, उस पद के लिए बाद में आपके द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं उक्त पद मेधा क्रम में आपसे नीचे स्थित उम्मीदवार को उनके द्वारा भरी गई अधिमानता के आधार पर आवंटित कर दिया जायेगा। अधिमानता प्रपत्र जमा करने के पश्चात उसमें कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आपके द्वारा किसी भी सेवा/पद के लिए अधिमानता नहीं अंकित की जाती है तो मेधा सूची में रहने एवं सेवा/पद उपलब्ध रहने के बावजूद भी आपको सेवा/पद आवंटित नहीं किया जायेगा।

05. (i) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब साक्षात्कार के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र जमा कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

06. **संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के पश्चात अन्तर्वीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को अन्तर्वीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अन्तिम परीक्षाफल हेतु तैयार की जानेवाली मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।**

07. **साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थित्ता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनके अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।**

08. आपके स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर (आयोग परिसर में) साक्षात्कार के दिन ही सम्पन्न होगा, जिसके लिए आपको 16.00 रू॰ (सोलह रू॰) का शुल्क आयोग के प्रतिनिधि के पास जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति रसीद दी जाएगी।

09. दिव्यांग अभ्यर्थी (VI, OH, Multiple/MD) दिनांक 03.10.2023 को आयोग कार्यालय में मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ मेडिकल बोर्ड टीम के समक्ष उपस्थित होकर जाँच करायेंगे तथा दृष्टि बाधित (DD) दिव्यांग अभ्यर्थी निर्धारित तिथि (आयोग के वेबसाईट पर प्रदर्शित) को I.G.I.M.S., Patna में उपस्थित होकर जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

10. हाल में खींचे गए पासपोर्ट आकार का अपना दो छायाचित्र (Photograph) साथ में अवश्य लायेंगे। इनमें से एक प्रति, ऊपर कंडिका – 02 में इंगित प्रपत्र–I में नियत स्थान पर चिपकायेंगे, एवं दूसरी प्रति, प्रपत्र–I के ही प्रथम पृष्ठ पर जेम्स पिन से संलग्न कर देंगे। उक्त दोनों छायाचित्र को हस्ताक्षरित नहीं करेंगे।

11. **सभी उम्मीदवार साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा– आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स इत्यादि में से कोई एक मूल में एवं इसकी 1 छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित कर अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।**

12. **साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक गैजेट यथा ब्लू–टूथ, Wifi, इलेक्ट्रोनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।**

13. साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

संलग्नकः– 1. आवेदन पत्र का सार प्रपत्र – I
2. विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए अधिमानता प्रपत्र – II